

अतिआवश्यक अल्पकालिक निविदा

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: प्रनि-श-03-2024/7730 दिनांक 21-01-2025 एवं समांक पत्र दिनांक 25-01-2025 के द्वारा 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में 400 रिकूट आरक्षियों का प्रशिक्षण कराया जाना है, जिस पर प्रति 50 प्रशिक्षु पर 08 शौचालय/08 स्नानागार का निर्माण मानक मद-25 लघुनिर्माण के अन्तर्गत वित्त नियंक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: बजट-3/ख-85 (प्रशिक्षण) -2024 के द्वारा 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ हेतु रू० 60,00,000-00(रू० साठ लाख) का अनुदान आवंटित किया गया है। आवंटित उक्त धनराशि के सापेक्ष वाहिनी में 24 अदद शौचालय एवं 24 अदद स्नानागार मानक मद -25 लघु-निर्माण के अन्तर्गत कार्य कराया जाना है।

2- यह अतिआवश्यक अल्पकालिक निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में समयावधि कम होने तथा वाहिनी में नवागन्तुक रिकूट आरक्षियों के प्रशिक्षण कराये जाने की महत्ता को देखते हुए निर्गत की जाती है।

3- सर्व साधारण निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय आकर निविदा प्रारूप आज ही प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु-निर्माण के अन्तर्गत वाहिनी में 24 अदद शौचालय एवं 24 अदद स्नानागार का निर्माण निम्नानुसार कराया जाना है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रत्येक शौचालय स्नानागार हेतु आवंटित धनराशि	08 अदद शौचालय/ 08 अदद स्नानागार हेतु कुल धनराशि	16 अदद शौचालय/ स्नानागार के कार्य कराये जाने हेतु धनराशि	टेण्डर फार्म की धनराशि	अर्नेष्ट मनी
1	2	3	4	5	6	7
1	08 अदद शौचालय/ 08 अदद स्नानागार के निर्माण कार्य पत्रावली संख्या- भ-04/2025	शौचालय हेतु रू० 1.20 लाख स्नानागार हेतु रू० 1.28	शौचालय हेतु रू० 9.60 लाख स्नानागार हेतु रू० 10.24 लाख	कुल 19 लाख, 84 हजार	1600/- प्रत्येक कार्य हेतु रू० 100/- दर से	16 कार्य का 2 प्रतिशत की दर से रू० 39,680/-
2	08 अदद शौचालय/ 08 अदद स्नानागार के निर्माण कार्य पत्रावली संख्या- भ-05/2025	शौचालय हेतु रू० 1.20 लाख स्नानागार हेतु रू० 1.28	शौचालय हेतु रू० 9.60 लाख स्नानागार हेतु रू० 10.24 लाख	कुल 19 लाख, 84 हजार	1600/- प्रत्येक कार्य हेतु रू० 100/- दर से	16 कार्य का 2 प्रतिशत की दर से रू० 39,680/-
3	08 अदद शौचालय/ 08 अदद स्नानागार के निर्माण कार्य पत्रावली संख्या- भ-06/2025	शौचालय हेतु रू० 1.20 लाख स्नानागार हेतु रू० 1.28	शौचालय हेतु रू० 9.60 लाख स्नानागार हेतु रू० 10.24 लाख	कुल 19 लाख, 84 हजार	1600/- प्रत्येक कार्य हेतु रू० 100/- दर से	16 कार्य का 2 प्रतिशत की दर से रू० 39,680/-

पुलिस महानिरीक्षक "पी"

22-03-25
पी०ए०सी० मुख्यालय उ०प्र०

अतः उपरोक्त तीनों लघु-निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु निविदा दिनांक 25-3-2025 को समय 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो तददिनांक को ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष समय 13.00 बजे के मध्य खोली जायेगी। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 19-03-2025 से 24-3-2025 तक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के प्रधान लिपिक कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी कार्यदिवस में टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

MC/II

I/c Server Cell

अपर पुलिस अधीक्षक 'पी'
पी०ए०सी० मुख्यालय उ०प्र०

निविदा की शर्तें

1. निविदा फार्म दिनांक- 19-03-2025 से 24-03-2025 तक प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 17.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस निर्धारित शुल्क रू0-100/- प्रत्येक कार्य अर्थात् कुल रू0-1600/- प्रत्येक पत्रावली पर जमा कर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
2. उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा दिनांक- 25-03-2025 को 12.00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा के साथ ठेकेदार 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी लिफाफे में भरकर डालेगा।
3. निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।
5. ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।
6. उक्त कार्यो से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा अल्पकालिक निविदा शर्तों के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।
7. वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।
8. ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य का भली-भाँति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदार को एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
12. चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 28-03-2025 तक कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों (राजपत्रित अधिकारियों) द्वारा दिनांक 25-03-2025 अर्थात् उसी दिन दोपहर 13:00 बजे खोली जायेगी।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।
15. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है। वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।
16. बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।
18. अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/ निविदा निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा। अधोहस्ताक्षरी उसका कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

बाद ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20. ठेकेदार द्वारा यदि पानी, बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।
21. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।
22. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।
23. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त 28-03-2025 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

पत्र संख्या-भ-04/2025

भ-05/2025

भ-06/2025

दिनांक-मार्च, 18, 2025


18/03/25

(प्राची सिंह)

सेनानायक,

32वीं वाहिनी पीएसी

लखनऊ।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कण्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सी0डी0 संलग्न)
2. पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, लखनऊ अनुभाग, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद-लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करते हुए प्रचार-प्रसार कराने का भी कष्ट करें।
6. सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी/विशेष सुरक्षा बल/विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र जनपद-लखनऊ।
7. पुलिस अधीक्षक जनपद-बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/हरदोई/सीतापुर।
8. सेनानायक, 02/11/27/25/10 जनपद-सीतापुर/रायबरेली/बाराबंकी/एपीटीसी/पीटीसी जनपद-सीतापुर।
9. कमेटी अध्यक्ष उपसेनानायक/कमेटी सदस्य सहायक सेनानायक/शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं नियत तिथि पर टेण्डर की कार्यवाही करने हेतु।
10. आकिक को सूचनार्थ एवं निविदा की शर्तों अधीन अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु।
11. जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।